प्रकरण संख्या 1/2020 हीरा बनाम श्रीमती विनीता

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी नंबर 2564 रकबा 0.1500 हैक्टर, 2567 रकबा 0.0200 हैक्टर एवं 4209 रकबा 0.0800 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि ग्राम घाटोल में स्थित है, जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी झगड़ा–फसाद करते हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व व आधिपत्य का भूखण्ड संख्या 11 घाटोल नदी की तरफ रोड़ पर स्थित है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 21.12.2007 को क्रय कर विधिवत कब्जा प्राप्त किया है। उक्त विवाद आवासीय भूमि से संबंधित होने से राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25.09.2019 से वादी का वाद क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10.01.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री समर पण्डया उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा नकल का आवेदन दिनांक 19.11.2019 को प्रस्तुत किया गया, इससे पूर्व उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। देरी का कारण वास्तविक व युक्ति–युक्त है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्य[illegible]यों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की [illegible] जाती है। जहां तक प्र[illegible] के [illegible]ु[illegible] का प्रश्न है, विद्व[illegible] अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्[illegible]द्वारा कृषि भूमि बा[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:08 IST
Reason: SelfAttested

अनुतोष चाहा गया है, जिसकी पुष्टि राजस्व अभिलेखों से होती है, जिसके खण्डन में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। वाद वर्णित भूमि आवासीय है या कृषि इसका निस्तारण साक्ष्यों से ही हो सकता है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिए वाद को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2020 डी.एन.जे. (Rev.) पेज 443, 2009 (1) आर.आर.टी. पेज 255 एवं 2009 (1) आर.आर.टी. पेज 230 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि विवादित भूमि आबादी भूमि होने से अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का वाद श्रवणाधिकार एवं श्रेत्राधिकार में नहीं मानकर जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को देखा। प्रस्तुत न्यायिक नजीरों अनुसार वाद वर्णित भूमि आवासीय है अथवा कृषि यह विधि व तथ्यों का बिन्दु है, जिसका निस्तारण साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिए वादी के वाद को श्रवणाधिकार एवं श्रेत्राधिकार में नहीं होना मानकर वाद खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.09.2019 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.08.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:08 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]ता मीना)
भू–[illegible]ध अधिकारी
[illegible] अपील अधिकारी
उदयपुर